आयोडीन नमक की ज़रूरत पर पुनर्विचार

प्रमोद भार्गव

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि आयोडीन युक्त नमक की ज़रूरत किसलिए है? न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक सरकार आयोडीन युक्त नमक की ज़रूरत पर नई वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध नहीं करा देती तब तक साधारण नमक पर लगा प्रतिबंध अवैध माना जाएगा। ज़ाहिर है, इससे नमक के बढ़े भाव नीचे आ जाएंगे। नमक के आयोडीन युक्त होने की शर्त जोड़े जाने के साथ नमक के भाव आसमान छूने लगे हैं। आखिर नमक पर आयोडीन युक्त होने की शर्त लगाने की क्या ज़रूरत थी?

पर्यावरण संरक्षण और नमक अनुसंधान से जुड़ी संस्थाओं तथा कुछ वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि आयोडीन युक्त नमक केवल घेंघा रोगियों के लिए ज़रूरी है, न कि सामान्य व्यक्ति के लिए। ऐसी स्थिति में देश की समूची आबदी को आयोडीन युक्त नमक जबरन खिलाने का क्या औचित्य रह जाता है? वैसे भी उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते इस आयोडीन में से 40 प्रतिशत हवा में उड़ जाती है और 40 फीसदी खाना पकाने में उड़ जाती है।

हमारे देश में जिस नमक को गांधी ने आज़ादी की लड़ाई का हथियार बनाया, उसी नमक को राजनेताओं, उद्योगपतियों और नौकरशाहों के गठजोड़ ने व्यापरियों की तिज़ोरियां भरने का साधन बना दिया। समुद्र के किनारे जो नमक 25-30 पैसे प्रति किलो मिलता था, वही नमक व्यापारियों के हाथ लगते ही दस-बारह रुपए किलो के भाव तक जा पहुंचा है। नमक को आयोडीन युक्त बनाने का खर्च मात्र 5-10 पैसे प्रति किलोग्राम है।

नमक मानव इतिहास में बेहद महत्त्वपूर्ण वस्तु रहा है। कभी आदिमानव भी वन्य-प्राणियों की तरह नमक की चट्टानों को चाटकर स्वास्थ्य लाभ उठाया करते थे। छठवीं शताब्दी में नमक का व्यापार शुरू हुआ था। उस समय नमक का सेवन स्वाद के अलावा खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए भी किया जाता था।

गौरतलब है कि सेलेरी (वेतन) शब्द नमक से ही बना है। बताते हैं, रोम की 'वाया सेलेरिया' नामक सड़क पर नमक की दुकानें लगा करती थीं और सिपाही तनख्वाह के बदले नमक (सेलेरियम) ही लिया करते थे। यही सेलेरियम कालांतर में 'सेलेरी' कहलाया। ईसाई धर्मग्रंथों में भी चढ़ावे के रूप में नमक की महिमा का बखान है।

महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर अंग्रेज़ी हुकूमत को बेदखल करने की मुहिम छेड़ी थी। नमक से पूरा समाज प्रभावित था। गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा करने से पहले वायसराय को चेतावनी भी दी थी कि सरकारी नीतियां भारत का राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक शोषण कर रही हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत में सत्ताधारियों ने कानून बनाकर सादा नमक खाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, गरीब को नमक से महरूम कर दिया। हमारी सरकारें विश्व बज़ार से तुलना करके भारत में नमक को सस्ता ही बता रही हैं। लेकिन अब न्यायालय में पोषण सुधार अकादमी की कोशिश है कि आयोडीन युक्त नमक की अनिवार्यता समाप्त की जाए। नए शोधों से यह भी पता चला है कि आयोडीन की अधिकता भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। घेंघा रोग कुछ सीमित क्षेत्रों में गिनती के लोगों में ही होता है। ऐसे में पूरे देश को आयोडीन युक्त नमक खिलाने का क्या औचित्य? बढ़ती महंगाई से निजात के लिए ज़रूरी है कि सादा नमक खाने की छूट मिले। ***(स्रोत फीचर्स)***